पत्रांक–सं0सं0–6 / एन–01–36 / 2025..... 862(6B)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

मृणायक दास,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार,
सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय, बिहार,
सभी निदेशक, सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल, बिहार।

दिनांकः 05 / 10 / 2026

विषयः स्थानांतरण आदेश में स्थानांतरित कर्मी के नाम को विलोपन के संबंध में।

प्रसंगः विभागीय आदेश संख्या–841(6बी), दिनांक–30.09.2026

महाशय,

उर्पयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभाग के अधीन कार्यरत स्टॉफ नर्स कर्मियों के स्थानांतरण हेतु विकसित ऑनलाईन पोर्टल पर जून, 2023 में इच्छुक कर्मियों को अभ्यावेदन समर्पित करने हेतु सूचित किया गया था। उक्त के क्रम में पोर्टल पर समर्पित अभ्यावेदन के आधार पर संबंधित कर्मियों का स्थानान्तरण विभागीय आदेश संख्या–284(6), दिनांक–26.03.2026 एवं आदेश संख्या–285(6), दिनांक–26.03.2026 के माध्यम से किया गया। उक्त स्थानान्तरण आदेश के लागू होने से पूर्व कतिपय कर्मियों द्वारा यह कहते हुए अभ्यावेदन समर्पित किया गया है कि उनके द्वारा तीन साल पूर्व में स्थानांतरण हेतु आवेदन समर्पित किया गया था, परन्तु वर्तमान में वे स्थानांतरण हेतु इच्छुक नहीं है। साथ ही वे वर्तमान पदस्थापन स्थल पर यथावत् रहना चाहते हैं।

इसी क्रम में उक्त स्थानान्तरण आदेश दिनांक–10.10.2026 से प्रभावी करने के क्रम में विभाग में स्थानान्तरण स्थगित करने हेतु विभिन्न माध्यमों से प्राप्त पत्रों पर विचार करते हुए कुल–151 कर्मियों के नामों को प्रसंगाधीन आदेश के माध्यम से विलोपित किया गया। पुनः उक्त विलोपित नामों से कतिपय कर्मियों द्वारा विभाग में आवेदन दिया गया है कि स्थानान्तरण रद्द करने हेतु उनके द्वारा कोई भी आवेदन समर्पित नहीं किया गया है।

अतः ऐसे स्टॉफ नर्स कर्मी जिनका प्रसंगाधीन आदेश के द्वारा स्थानान्तरण आदेश से नाम को विलोपित किया गया है तो उनके द्वारा स्थानांतरण आदेश से नाम को विलोपित नहीं करने हेतु विभाग में अभ्यावेदन को समर्पित करने से पूर्व अपने स्तर से अग्रसारित करना सुनिश्चित किया जाय ताकि उनके अभ्यावेदन पर पुनः विचार किया जा सके।

विश्वासभाजन

05/10/2026

(मृणायक दास)
सरकार के अपर सचिव।